विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 5 मार्च, 2026

संख्याः एल.एल.आर.–डी.(6)–28/2025–लेज.—हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 21) को हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 04–12–2025 को पारित किया गया था। महामहिम राज्यपाल के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2026 को विधेयक पर पुनर्विचार किया तथा बिना किसी संशोधन के इसे पुनः पारित कर दिया। तद्नुसार उक्त विधेयक को महामहिम राज्यपाल की स्वीकृति हेतु पुनः प्रस्तुत किया गया।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 21) को दिनांक 05–03–2026 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2026 के अधिनियम संख्यांक 4 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

(डॉ0 विवेक ज्योति),
संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि)।

—————

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2025

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 36 का संशोधन।
3. निरसन और व्यावृत्तियां।

—————

2026 का अधिनियम संख्यांक 4

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2025

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 5 मार्च, 2026 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम।**

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.——**(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

(2) यह 1 नवम्बर, 2025 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. **धारा 36 का संशोधन.——**हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 36 में,—

(क) उप–धारा (1) में ''और तत्पश्चात् प्रत्येक अढ़ाई वर्ष के अवसान पर'' शब्दों का लोप किया जाएगा; और

(ख) उप–धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

''(2) निगम के महापौर और उप महापौर की पदावधि उसके निर्वाचन की तारीख से पांच वर्ष की होगी, जब तक कि इस बीच महापौर या उप महापौर के रूप में वह अपने पद से त्यागपत्र नहीं दे देता या जब तक उप महापौर के मामले में वह महापौर के रूप में निर्वाचित नहीं कर दिया जाता और वह अपनी पदावधि के अवसान पर अपने पद पर नहीं रहेगाः

परन्तु यदि महापौर या उप महापौर का पद रिक्त हो जाता है या इस कार्यकाल के दौरान मृत्यु, त्यागपत्र या अविश्वास प्रस्ताव के कारण रिक्त हो जाता है तो रिक्ति होने के एक मास की अवधि के भीतर उसी वर्ग से शेष अवधि के लिए नया निर्वाचन करवाया जाएगा।''।

3. **निरसन और व्यावृत्तियां.——**(1) हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का 4) का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (2nd AMENDMENT) Act, 2025

ARRANGMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 36.
3. Repeal and saving.

ACT NO. 4 OF 2026

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (2nd AMENDMENT) ACT, 2025

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 5th MARCH, 2026)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No.12 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (2nd Amendment) Act, 2025.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of November, 2025.

2. Amendment of section 36.—In section 36 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994,—

(a) in sub-section (1), the words "and thereafter at the expiration of every two and half years", shall be omitted; and

(b) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

"(2) The term of office of the Mayor and Deputy Mayor of the Corporation shall be five years from the date of election, as such, unless in the mean time he resigns his office as Mayor or Deputy Mayor or unless in the case of Deputy Mayor is elected as the Mayor and he shall cease to hold his office on the expiry of his term of office:

Provided that if the office of the Mayor or Deputy Mayor is vacated or falls vacant during the tenure on account of death, resignation or no-confidence motion, a fresh election within a period of one month of the vacancy shall be held from the same category, for the remainder period. ".

3. Repeal and saving.—(1) The Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2025 (4 of 2025) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any action taken or anything done under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.